

Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/46/2013-14

13 अगस्त, 2013

सेवा में,
श्री एम. के. गुप्ता,
उप-सचिव (जी ए डी) सी पी आई ओ.
सी. एस. कार्यालय,
आई. जी. स्टेडियम,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री शमीम अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद, नि. रेलवे स्टेशन रोड स्योहारा बिजनौर, तहसील धामपुर, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 का पत्र दिनांक 12 अगस्त 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 17एफ 140715 संलग्न कर सौराव चैरिटी आई हास्पिटल दरियागंज नई दिल्ली के डाक्टरों की लापरवाही पर उचित कार्यवाही करने की सूचना मांगी है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री शमीम अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद, नि. रेलवे स्टेशन रोड स्योहारा बिजनौर, तहसील धामपुर, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

o/c

प्रपत्र - एक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



पत्र का क्रम : माननीय उपराष्ट्रपतिजी भारत सरकार नई दिल्ली

दिनांक : श्रीमत् मोहम्मद इब्न राजाज अहमद

स्थान : शिवाजी रोड स्पोट्स जियो विजनार उडुपु

संख्या / ई-मेल / फ़ैक्स नं. / मोबाइल नं. : 6427522174

दिनांक : 8-8-2013

विषय :- जानकारी का विवरण :- विन्दु नं. - मुझे 2-8-2013 को एक पत्र सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त हुआ इस पत्र में 10 आदिमियों के नाम थे जिनमें मेरा नाम है इसमें पटिस्त दायित्व करने के लिए नामों मिल लिख है मेरी कोई तारीख नहीं है इसमें प. आदिमियों की तारीख खुले है मेरी नहीं खुली है मेरे साथ जो इन्साफो क्यो हो रही है मेरा आपसे प्रत्यक्ष है कि मेरे पतिशत्रु की तारीख खुलनी चाहिए मुझे अवगत करवा जाये ताकि मेरी तारीख हो।

विन्दु नं. 2 -> सन 2004 से 2013 तक मैं केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली आदि कार्यों से प्राथना कर चुका है कि सौरभ गैरिदी आई होस्टिंगल दरिया गजे नई दिल्ली की कार्यवाही आज तक क्यो नुई की जो आज तक मैं उनको नजद से भन्धा ह इस वारे मैं कार्यवाही करके अवगत करवाये।

विन्दु नं. 3 -> मेरा मुकदमा विजनार उडुपु में खोलने की अनुमति ही जामे मेरी सुनवाई विजनार में होवे 2011 से प्राथना कर रहा है कि मेरा मुकदमा विजनार में खोलने की कृप करे तथा अवगत करवाये।

नकल/निष्प्रेषण/रिपोर्ट/निष्प्रेषण/निर्देश की प्रमाणात प्रति/प्रमाणात नमूना/आवेदन के साथ अन्य विषये जाने वाली प्रेषित प्रीस क्यो दस मात्र लिखे 10/नकल/स्टाम्प/पोस्टल ऑर्डर/नान क्लिपियस स्टाम्प/बैंक/बैंक ड्रॉफ्ट बैंक अकाउंट 17F 140715

दिनांक : 8-8-13 के पत्र में माननीय उपराष्ट्रपतिजी भारत सरकार नई दिल्ली

संख्या : 8-8-13

हस्ताक्षर
आवेदन कता
नि 0 30
श्रीमत्
अह

दिनांक : 8-8-13

स्थान : शिवाजी रोड

पावती

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में/अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक

सम्बन्धित राजा/कार्यालय/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

संख्या : (रबर सील)

सा मे,

महोदय,

माननीय उपराष्ट्रपति जी भारत सरकार

नई दिल्ली

निवेदन है कि प्रार्थी का दो बार परीक्षा अनुमानक आई हा रिपट में हुआ

तथा दोनों बार ही उन्होंने शौराव चेरटी वालों के फा में रिपोर्ट की और हिन्दूराव बाबा आई हा रिपट में भी परीक्षा हुआ वहाँ पर डाक्टर श्री योगेश कुमार मुप्ता ने मुझे एक लाख रुपये माने और कहा कि फी नहीं दिये तो मैं रिपोर्ट तुम्हारे फा में नहीं दूँगा तथा दूसरी पार्टी से पैसा लेकर रिपोर्ट उन्होंने अपने फा में ले ली और मेरा कुछ नहीं हुआ इस विषय को लेकर मैं दिनांक 30-8-2013 को शौराव चेरटी आई हा रिपट के परीक्षा में धारने पर बैठना मेरे साथ 9 साल से नाइन्ताफी हो रही है इसीलिए कि मैं अल्पसंख्यक हूँ मुझे न्याय नहीं मिलता है।

शौराव चेरटी आई हा रिपट परियोग नई दिल्ली में जे 4-2-2004 को अपनी जालों में लेना लगाया था डाक्टरों की सापरवाटी के कारण मैं अन्धा हो गया हूँ जे 2004 से 2013 ई 0 से सभी तरह न्याय की सुधार लगायी जो अब तक न्याय नहीं मिलता मेरा उपनोक्ता पौरम विज्जौर व तीस हजारों बच्चों कोर्ट दिल्ली से भी मेरा मुकदमा फी के घत पर छाड़िन करा दिया है।

दिनांक 2-8-2013 को प्रार्थी को सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना फा प्राप्त हुआ जिस 10 आक्षेपी की सूची है जिसमें मेरा नाम नं० 10 पर है जिसमें मेरे परिवार का कोई बच्चा नहीं लिखा। सिर्फ नाम लिखा दिया है मेरी तारीख बच्चों नहीं छाँती गयी है। फूला पर इसका विस्तार पूर्वक लिखा जाय मुझे फी की सूचा करे।

आः श्रीमानों से विम्व निवेदन है कि प्रार्थी की परियाद को सुना जावे तथा तथा प्रार्थी को इन्साफ दिलाया जावे ।

प्रार्थी काकद आजीवन भर आभारी रहेगा।

दिनांक 8-8-13

प्रार्थी



नि० 300
शमीम अहमद

विज्जौर शमीम अहमद पुत्र शमीम अहमद
निवासी स्टेशन रोड स्यौदारा
तहसील धामपुर जिला-विज्जौर
फोन नं० 245746